मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः17.03.2026

आज के डिजिटल युग में, सूचना ही हथियार है।

थाना लालगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय साइबर फ्राड गैंग का पर्दाफास, कुल 08 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, टाटा डीसीएम ट्रक में छिपाकर ले जा रहें 11,605 पुराने मोबाइल फोन व 08 मोटर साइकिल बरामद (कुल अनुमानित कीमत 01 करोड़ रूपये की सामग्री)—

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान व वाहनों की चोरी एवं बिक्री करने वालों तथा साइबर अपराध के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अमर बहादुर क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

दिनांकः 16.03.2026 को थाना लालगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को जरिए मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम तेन्दुई टोल प्लाजा के पास टाटा डीसीएम ट्रक के साथ 08 नफर अभियुक्तों 1. मोहम्मद अनारूल पुत्र अरसद अली, 2. मोहम्मद दिल फराज पुत्र अलाउद्दीन, 3. सीताबुल पुत्र अरसद अली, 4. हसीबुर रहमान पुत्र अब्दुल रसीद रहमान, 5. सबिर आलम पुत्र मुदुरमाहन, 6. मोहम्मद अहमद पुत्र मोहम्मद हमीद, 7. मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद इरफान अली व 8. मोहम्मद सफीक पुत्र मंसूर आलम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से टाटा डीसीएम वाहन संख्या UP 62 CT 5893 में छिपाकर रखें 11,605 पुराने मोबाइल फोन, 08 मोटर साइकिल तथा जमातलासी के 48,800 रूपये बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-95/2026 धारा 317(2),317(5),61(2),3(5) बीएनएस पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों द्वारा अलग-अलग राज्यों से भारी संख्या में पुराने मोबाइल फोन को अवैध तरीके से छिपाकर बिहार ले जाते है तथा इन मोबाइल फोनो को रिपेयर कर साइबर फ्राड करने हेतु डाटा रिकवर करके डाटा को बेच देते है। इस प्रकार प्राप्त धन को आपस में बाट लेते है तथा भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ उठाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. मोहम्मद अनारूल पुत्र अरसद अली निवासी ब्रम्हाचारी हथियादिरा थाना रौतरा जनपद कटिहार, बिहार।
2. मोहम्मद दिल फराज पुत्र अलाउद्दीन निवासी कौवा मोड़ सिसिया थाना बरारी जनपद कटियार, बिहार।
3. सीताबुल पुत्र अरसद अली निवासी हथिया दियहरा थाना रौतरा जनपद कटिहार, बिहार।

4. हसीबुर रहमान पुत्र अब्दुल रसीद रहमान निवासी बनेली थाना घाटा जनपद पूर्णिया, बिहार।
5. सबिर आलम पुत्र मुदुरमाहन निवासी बनेली थाना घाटा जनपद पूर्णिया बिहार।
6. मोहम्मद अहमद पुत्र मोहम्मद हमीद निवासी हथिया डेरा थाना रौतरा कटिहार जनपद कटिहार।
7. मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद इरफान अली निवासी हथिया डेरा थाना रौतरा जनपद कटिहार, बिहार।
8. मोहम्मद सफीक पुत्र मंसूर आलम निवासी हथिया डेरी थाना मुसिल जनपद कटिहार, बिहार।

*पंजीकृत अभियोग —

*मु0अ0सं0-95/2026 धारा 317(2),317(5),61(2),3(5) बीएनएस थाना लालगंज मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

1. एन्ड्राइड मोबाइल फोन-874 अदद (अनुमानित कीमत -17,48,000 रूपये)
2. की-पैड मोबाइल फोन-10,605 अदद (अनुमानित कीमत -53,02,500 रूपये)
3. मोटर साइकिल -08 अदद (अनुमानित कीमत- 8,00,000 रूपये)
4. टाटा डीसीएम वाहन संख्या UP 62 CT 5893 (अनुमानित कीमत- 25,00,000 रूपये)
5. प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं
6. जामातलासी में 48,800 रूपये

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक-अभय कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह सर्विलांय/एसओजी मय पुलिस टीम।

सराहनी कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा 10,000 रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।